परिवादी भारती द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रकरण आज परिवाद पर संज्ञान संबंधी आदेश हेतु नियत है।

परिवाद के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि परिवादी भारती की शादी दिनांक : 06/05/2006 को आरोपी शिवराज उर्फ भोला के साथ हुई थी। परिवादी की शादी में उसके मॉ एवं भाईयों ने एक लाख रूपये नगद, बीस हजार रूपये के बर्तन, पाँच हजार रूपये का कूलर, पाँच हजार रूपये की अलमारी, पाँच हजार रूपये की टी. व्ही.. आट हजार रूपये का फिज, दस हजार रूपये का डबलबेड, दस हजार रूपये का सौफा सेट एवं आठ हजार रूपये की वॉशिंग मशीन दी थी, जिन्हें शादी के पश्चात परिवादी के पति शिवराज, चाचा अशोक एवं सियावरन ने ग्राम चिरोल में अपने पास रख लिया। आरोपी शिवराज के माता-पिता की मृत्यू हो जाने के कारण वह अपने चाचा अशोक एवं सियावरन तथा चाची शशि एवं उषा के प्रभाव में शादी के बाद से ही दहेज में मोटर साईकिल एवं एक लाख रूपये की मांग कर मारपीट कर परिवादी को प्रताडित करने लगा। परिवादी के पिता की मृत्यू हो जाने के कारण उसकी विधवा माँ एवं भाई आरोपीगण की दहेज की मांग जब पूरी ना कर सकें, तब उसे आरोपीगण द्वारा तरह-तरह की यातनाएं दी गई और उसे गर्भावस्था में घर से निकाल दिया गया। तत्पश्चात सभी आरोपीगण ग्वालियर जाकर रहने लगे। परिवादी अपनी विधवा मॉ राजेन्द्री के साथ ग्राम सिलगिला में रह रही है और दिनांक : 24/09/2009 को मुरार जच्चाखाने में उसने पुत्र अजय को जन्म दिया। आरोपीगण ने परिवादी के दहेज में दिया गया समस्त नगद एवं सामान ग्वालियर ले जाकर रख लिया है। आरोपी शिवराज सूर्या फैक्ट्री मालनपुर में नौकरी के एवज में वेतन के रूप में प्राप्त 20,000 / – रूपये महीना अपनी चाची आरोपी शशि को दे देता है। ससुराल ग्राम चिरौल में परिवादी एवं उसके बच्चे अजय के रहने के लिए मकान नहीं है, केवल एक झोपडी बनाकर वह अपना उदर–पोषण कर रही है। आरोपी शिवराज ने अपनी चाची शशि से अवैध संबंध स्थापित कर लिये है और परिवादी को भी आवारा लडकों के साथ

अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा परिवादी के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। परिवादी द्वारा उसकी मॉ राजेन्द्री, भाई बालेन्द्र एवं सोनू को ले जाकर आरोपीगण से निवेदन किया गया, परन्त् वह परिवादी को संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। दिनांक : 01/07/2016 को जब परिवादी अपने भाई के साथ नारायण बिहार कॉलोनी एवं हनुमान कॉलौनी ग्वालियर गई और दहेज का सामान मांगा तो आरोपीगण ने परिवादी को मारपीट कर भगा दिया। दिनांक : 08/07/2016 को परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं थाना प्रभारी मौ को इस वावत लिखित शिकायत प्रेषित की जा चुकी है और दिनांक 12/07/2016 को जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक भिण्ड को आवेदन दिया गया है। परिवादी के परिजनों द्वारा दहेज में दिया गया सामान एवं धन परिवादी का स्त्रीधन है, जिसे रखने का आरोपीगण के पास कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण का धारा 498 ए एवं 406 सहपठित धारा ३४ भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः परिवाद प्रस्तत कर निवेदन है कि आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का संज्ञान लेकर आरोपीगण को दण्डित किया जाये।

उक्त परिवाद के संबंध में परिवादी भारती, उसकी मॉ राजेन्द्री एवं भाई बालेन्द्र के कथन अन्तर्गत धारा 200 एवं 202 द.प्र.सं लेखबद्ध किये गये।

परिवाद पंजीयन पर तर्क सुने गये।

परिवाद पत्र, परिवादी की ओर से प्रस्तुत पुलिस अधीक्षक भिण्ड, थाना प्रभारी मौ को कोरियर से प्रेषित आवेदन दिनांक : 08/07/2016, परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया गया।

परिवादी द्वारा उपरोक्त लिखित रकम एवं टी.वी. अलमारी आदि सामान आरोपीगण को विवाह के समय प्रदत्त किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी भारती ने उसके कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में कहीं पर भी आरोपीगण द्वारा परिवादी के परिजनों द्वारा दिये गये किसी दहेज की रकम या सामान को आरोपीगण को परिदत्त या न्यस्त किये जाने और

आरोपीगण द्वारा उसकी उक्त रकम या सामान का स्वयं के उपयोग के लिए बेईमानीपूर्वक दुविर्नियोग कर लिये जाने या स्वयं के उपयोग में समपरिवर्तित कर लिये जाने संबंधी तथ्य दर्शित नहीं किये है।

परिवादी द्वारा उसके परिवाद अथवा कथन अन्तर्गत धारा २०० द.प्र.सं. में कहीं पर भी आरोपीगण द्वारा किये गये दहेज की मांग संबंधी कथित कूरतापूर्ण व्यवहार करने के दिनांक, स्थान एवं समय का वर्णन नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा उसके परिवाद के पृष्ठ क्रमांक 02 पर पंक्ति क्रमांक 02 में उसके ग्राम सिलगिला में माँ के पास रह रहे होने का तथा पद क्रमांक 03 में सस्राल ग्राम चिरौल में आरोपीगण से पृथक एक झोपड़ी बनाकर रह रहे होने का विरोधाभाष पूर्ण उल्लेख किया है। परिवादी द्वारा उसके परिवाद या कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा उसे किस दिनांक. समय एवं स्थान पर एवं किन आवारा लडकों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। परिवादी द्व ारा उसके परिवाद या कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में इस वावत् कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उसके द्वारा उक्त घटनाओं की किसी पुलिस थाने में तत्समय तत्परतापूर्वक रिपोर्ट क्यों नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी भारती, साक्षीगण राजेन्द्र एवं बालेन्द्र के कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है, जो प्रथम दृष्टया आरोपीगण की किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्तता दर्शित करते हो।

फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए एवं 406 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. का संज्ञान लेकर पंजीबद्ध किये के प्रथम दृष्टया आधार प्रकट नहीं होते है। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद